61

1

न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड लिंक कैम्प रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

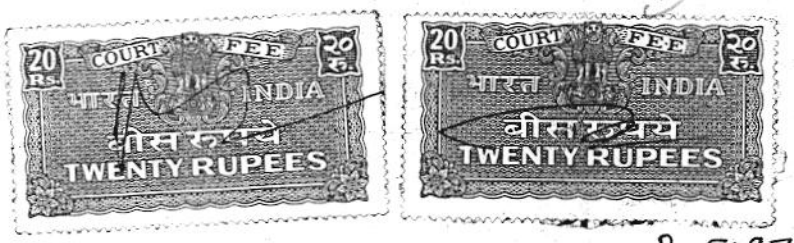

R. 5097-दो/16

छोटेलाल मिश्रा तनय ईश्वर राम मिश्रा उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम देवगढ़, पोस्ट करौंदिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0

———निगरानीकर्ता

बनाम

बसंत कुमार शर्मा तनय बुद्धसेन राम शर्मा निवासी ग्राम देवगढ़, पोस्ट करौंदिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक श्री छोटे लाल मिश्रा द्वारा स्वतः प्रस्तुत किया गया 19-2-16 19-2-16

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्र0–277/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी के निम्न आधार है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि आराजी नंबर पुराना 157/1 रकवा 0.032हे0 जिसका नया नंबर 219 रकवा 0.032हे0 में निगरानीकर्ता द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सीधी के समक्ष पूर्व में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी नं0–219 रकवा 0.03 एकड़ पूर्व से सड़क मौके में बनी है, जिसमें आम रास्ता है, एवं देवी जी के मन्दिर के लिए आने–जाने का एक मात्र रास्ता यही है, इस कारण बन्दोबस्त अभिलेखों में सड़क दर्ज कर म0प्र0 शासन भूमिस्वामी कालम में दर्ज कर दिया जाए का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर बन्दोबस्त अधिकारी ने राजस्व प्रकरण क्र0–1647/ब.सं./पें.नि./94 दिनांक 11.05.1994 को बन्दोबस्त

छोटेलाल मिश्र

(61)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5097-II/2016 जिला– सीधी

छोटेलाल मिश्रा विरूद्ध वसन्त कुमार

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री छोटेलाल मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 277/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19-02-16 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	